संख्या–वे0आ0–1–60/दस–2012–42(एम)/08

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश
(2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(3) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)/शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
(5) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश–8वॉ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
(6) समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
(7) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 13 जनवरी, 2012

विषयः– राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01–07–2011 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।

पठित निम्नलिखित :–

(1) शासनादेश संख्या वे0आ0–1–641/दस–2011–42(एम)/08, दिनॉक 06 जुलाई, 2011
(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या–1(14)/2011–ई–।।(बी), दिनांक 03 अक्टूबर, 2011 ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या वे0आ0–1–641/दस–2011–42(एम)/08, दिनॉक 06 जुलाई, 2011 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारको को दिनांक 01 जुलाई, 2011 से निम्नानुसार संशोधित दर पर महंगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :–

तिथि जब से देय है	महंगाई भत्ते की मासिक दर
01–07–2011	मूल वेतन का 58 प्रतिशत

2– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के संबंध में शासनादे संख्या–वे0आ0–1–1599/दस–42(एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर– एवं 5 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

3– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के आगणन हेतु 'मूल वेतन' तात्पर्य दिनांक 1–1–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन–संरचना में कर्मचारियों अनुमन्य वेतन बैंड में 'वेतन' तथा अनुमन्य 'ग्रेड वेतन' के योग से होगा, कि नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। परन्तु उक्त अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे म नियम के अंतर्गत वेतन की परिभाषा में आते हों, को मूल वेतन के साथ सम्मिलि नही किया जायेगा। परन्तु प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को 'वेतन' का अंश माना जाये अर्थात प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को महंगाई भत्ता के आगणन हेतु सम्मिलित कि जायेगा।

4– महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्त नियम–9(21) के अंतर्गत वेतन नही माना जायेगा।

5– इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कर्मचारियों/शिक्षकों को भी, प्रभावी तिथि को सेवारत थे किन्तु इस शासनादेश के जारी होने के पूर्व जिन सेवायें चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्याग– सेवा–निवृत्त, मृत्यु या सेवा–मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के क समाप्त हो गयी हों, सेवा–समाप्ति, सेवा निवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होग

6– इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे और उससे अधिक को उच्च रूपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दि जायेगा।

7– इन आदेशों द्वारा स्वीकृत दरों पर महंगाई भत्ते की दिनांक 01 जुलाई, 2 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि खाते में, अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य खाते में दिनांक 01 जनवरी, 2012 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा इस प्रकार भविष्य खाते में जमा की गई अवशेष धनराशि दिनांक 31–12–2012 तक स अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उन मामलों को छोड़कर जि भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final Withdrawal) दे जाय, उक्त तिथि से पूर्व नही निकाला जा सकेगा। इन आदेशों द्वारा स्वीकृत म भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान दिनांक 01 फरवरी, 2012 से (माह जन 2012 का भुगतान दिनांक 01 फरवरी, 2012 को देय) नकद किया जायेगा। अधिकारी/कर्मचारी जिनका भविष्य निधि खाता न खुला हो, उनको देय अ